न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/201
प्रकरण संख्या 110/22

अनवान

1. श्री लोगर पिता मोतीलाल निवासी खाना तालाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: :निर्णय: :— दिनांक :—04.10.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का तहसीलदार भीण्डर के समक्ष प्रस्तुत निवेदन किया की राजस्व ग्राम खाना तालाब पटवार हल्का सवना की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 74 में प्रार्थीगण की जाति रावत अंकित है जबकि प्रार्थीगण की मूल जाति मीणा है जिसे दुरस्त कर रावत के बजाय जाति मीणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण को तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच कर बाद जांच मय रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खाना तालाब की जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या 74 में दर्ज मोती पुत्र कन्ना हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है जाति रावत अंकित है। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उसके पूर्वज 40 वर्ष पूर्व ग्राम उथरदा तहसील सलुम्बर राजस्व ग्राम उथरदा की जमाबंदी संवत् 2075–78 में मोती पिता काना हिस्सा 1/2 जाति मीणा अंकित है। प्रार्थी उक्त रिकार्ड के आधार पर जाति शुद्धि रावत से मीणा कराना चाहता है।

2. प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 106 दिनांक 10.02.2022 के जरिये पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का उथरदा की रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2039–42 एवं 2078–81 में देवा पुत्र काना नामजी, मोती, पुरा पुत्र काना की जाति मीणा दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:05 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया, ... प्रकरण में प्राथीगण की बहस को सुना। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र ... को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी ... की बहस पर मनन ... प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम खाना तालाब पटवार हल्का सवना खाता संख्या 74 में प्रार्थीगण की जाति रावत अंकित हैं जबकि

CamScanner

प्रार्थीगण की मूल जाति मीणा है जिसे जाति रावत के बजाय मीणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत उथरदा, पंचायत समिति सलुम्बर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें प्रमाणित किया गया की मोती पुत्र काना, देवा पुत्र काना, पुरा पुत्र काना मूल रूप से ग्राम पंचायत उथरदा के निवासी है। जो की मीणा जाति के है। प्रार्थीगण द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत सवना का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मोती पुत्र कना, पुरा पुत्र कना के फौत हो जाने से उसके वारीसान द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति भी पेश की जिसमें भी प्रार्थीगण की जाति मीणा ही अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थीगण के पूर्वज 40 वर्ष पूर्व ग्राम उथरदा तहसील सलुम्बर से आये थे। तहसील सलुम्बर राजस्व ग्राम उथरदा की जमाबंदी संवत् 2075–78 में प्रार्थीगण की जाति मीणा अंकित है। ग्राम उथरदा से तहसील भीण्डर आने पर प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज हो गयी। कार्यालय ग्राम पंचायत सवना द्वारा प्रमाणित किया गया की प्रार्थीगण के वैवाहिक संबंध मीणा व रावत दोनो में होते है। इनके रीति रिवाज भी समान होते है। प्रार्थीगण द्वारा तहसील सलुम्बर से तहसील भीण्डर आने पर प्रार्थीगण की जाति में परिर्वतन हो गया। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की अनापत्ति, मूल स्थान सलुम्बर के दस्तावेज, राजस्व दस्तावेंजो के आधार पर एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया की प्रार्थी की मूल जाति मीणा है। तहसील सलुम्बर से तहसील भीण्डर आने पर त्रुटि से प्रार्थीगण की जाति मीणा के बजाय रावत अंकित हो गयी जिसे न्यायाहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेश: :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खाना तालाब [illegible] सवना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 74 में अंकित खातेदारों की जाति रावत के बजाय मीणा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 04.10.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:05 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner